

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 09 अगस्त, 2018

विषय: जनपद-देहरादून के अंतर्गत Reliance 4G Project of Underground Optical Fiber Cable (OFC) along with road at hill side on Sudhowala-Donga Road from Km. 0.00 to Km. 09.72 and Donga-Nanda Ki Devi Chowki Road from Km. 10.72 to 22.00 & Total Area 0.2118 ha. In Forest Division Dehradun में ट्रेन्च/एच0डी0डी0 तकनीकी के माध्यम से भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु रिलायन्स जियो इन्फोकॉम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति/स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3604/FP/UK/Others/30124/2017, दिनांक 07.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-देहरादून के अंतर्गत Reliance 4G Project of Underground Optical Fiber Cable (OFC) along with road at hill side on Sudhowala-Donga Road from Km. 0.00 to Km. 09.72 and Donga-Nanda Ki Devi Chowki Road from Km. 10.72 to 22.00 & Total Area 0.2118 ha. In Forest Division Dehradun में ट्रेन्च/एच0डी0डी0 तकनीकी के माध्यम से भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु रिलायन्स जियो इन्फोकॉम को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ0 न0-5-3/ 2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009, एफ0न0-11-568/2014-एफ0सी0, दिनांक 02.02.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0-156/7-1-2005-500(826)/2002, दिनांक 09.09.2005 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

18. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित/कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा टेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
21. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
22. फाईबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
23. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
24. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMP) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
25. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
26. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
27. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा योजनानुसार किया गया मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट निश्चित करवाकर वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्टक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0 070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन विछाने के कार्य के लिए संबंधित लो0नि0वि0, डिविजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्त निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2 कृपया तदनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: **533** (1)/X-4-18/1(88)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. प्रबंधक, रिलायन्स जियो इन्फोकोम, तृतीय तल मकर चेम्बर, 4, 222-नरीमन प्वाइन्ट, महाराष्ट्र।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

अज्ञात
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।